



पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ०ग०)

फार्म नंबर –
निविदा फार्म का मूल्य रु. 1000.00
वि०वि० रसीद क्रमांक –
दिनांक –



सफाई व्यवस्था हेतु निविदा प्रपत्र एवं शर्तें (प्रपत्र "एक से प्रपत्र "तीन तक)



पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ०ग०)

—: विश्वविद्यालय परिसर की सुरक्षा एवं सफाई व्यवस्था से संबंधित निविदा सूचना :-

क्र० 195/विकास/निसू/2017

रायपुर, दिनांक 15.06.2017

पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर की सुरक्षा एवं सफाई व्यवस्था हेतु पंजीकृत ठेकेदार/फर्म से सीलबंद निविदा स्पीड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर रु. 1000/- नगद भुगतान कर विश्वविद्यालय के विकास विभाग से कार्यालय में समय में निविदा प्रपत्र प्राप्त किये जा सकते हैं। अधिक जानकारी विश्वविद्यालय के वेबसाइट www.prsu.ac.in से प्राप्त की जा सकती है।

निविदा बिक्री की अंतिम तिथि	— दि०	30.06.2017	समय 03.00 बजे तक
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	— दि०	03.07.2017	समय 03.00 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि (सुरक्षा व्यवस्था)	— दि०	04.07.2017	समय अपराह्न 03.00 बजे
निविदा खोलने की तिथि (सफाई व्यवस्था)	— दि०	05.07.2017	समय अपराह्न 03.00 बजे

टीप :- विश्वविद्यालय वेबसाइट के वेबसाइट www.prsu.ac.in से प्राप्त निविदा प्रपत्र रु० 1000/- का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करने पर ही मान्य होगा।

कलसचिव

नोट :- निविदाकर्ता निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर करें।



पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ०ग०)

—: विश्वविद्यालय परिसर की सफाई व्यवस्था हेतु विस्तृत निविदा :-

पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर की सफाई व्यवस्था हेतु पंजीकृत ठेकेदार/फर्म से सीलबंद निविदा स्पीड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर रु. 1000/- नगद भुगतान कर विश्वविद्यालय के विकास विभाग से कार्यालयीन समय में निविदा प्रपत्र प्राप्त किये जा सकते हैं। अधिक जानकारी विश्वविद्यालय के वेबसाइट www.prsu.ac.in से प्राप्त की जा सकती है।

निविदा बिक्री की अंतिम तिथि	—	दि०	30.06.2017	समय	03.00 बजे तक
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	—	दि०	03.07.2017	समय	03.00 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि (सफाई व्यवस्था)	—	दि०	05.07.2017	समय	अपरान्ह 03.00 बजे

टीप :- विश्वविद्यालय वेबसाइट के वेबसाइट www.prsu.ac.in से प्राप्त निविदा प्रपत्र रु० 1000/- का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करने पर ही मान्य होगा।

किये जाने वाले कार्यों का विवरण

1. कार्य का विवरण :- विश्वविद्यालय परिसर में स्थित समस्त भवनों एवं छात्रावासों के सफाई व्यवस्था संबंधी कार्य
2. कार्य अवधि :- 01 वर्ष
3. किये जाने वाले कार्य की अवधि :- प्रति दिन 08 घंटे
4. सफाई कामगार की संख्या-45



पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ०ग०)

—: विश्वविद्यालय परिसर की सफाई व्यवस्था हेतु पात्रता :-

पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर की सफाई व्यवस्था हेतु निविदा भरने हेतु पात्रता का निर्धारण:-

क्र०	विवरण	पृ० क्र०
01	पेन नंबर (छायाप्रति संलग्न करें)	
02	जीवित लेबर लायसेंस प्रमाण-पत्र	
03	सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन	
04	साल्वेन्सी प्रमाण पत्र (न्यूनतम रु.पाँच लाख)	
05	भविष्य निधि प्रमाण पत्र कोड सहित	
06	ठेकेदार/फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र	
07	अनुभव प्रमाण पत्र/परफार्मेंस सर्टीफिकेट	
08	वर्तमान में कार्यरत संस्थान का नाम	
09	एजेन्सी की वार्षिक टर्न ओव्हर पिछले तीन वर्षों में न्यूनतम पंद्रह लाख रुपये प्रतिवर्ष रहने की सी.ए.से प्रमाणित अंकेक्षण वित्तीय पत्रक	
10	पिछले 03 वर्ष का आयकर निर्धारण पत्रक सत्र 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17	
11	वर्कमेन कम्पारेशन पॉलिसी (जीवित) की छायाप्रति	
12	अमानत हेतु निर्धारित राशि रूपए पच्चास हजार की डिमांड ड्राफ्ट, जो कुलसचिव, पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के नाम से देय हो, संलग्न करें	
13	आयकर भुगतान चालान की छायाप्रति 2016-17 का संलग्न करें ।	
14	कार्य प्रारंभ करने के पूर्व 3 % सुरक्षा निधि वि. वि. कोष में जमा करना होगा ।	



पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ०ग०)

:—निविदा—प्रपत्र—:

प्रपत्र एक

प्रति,

कुलसचिव,
पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
रायपुर.

महोदय,

पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के परिसर में स्थित भवनों एवं प्रांगण की साफ-सफाई करने हेतु बुलाई गई निविदा सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई है। इस निविदा के संदर्भ में मेरा आवेदन प्रस्तुत है तथा मैं वचन देता हूँ कि यदि मेरी निविदा स्वीकृत की जाती है तो मैं विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत इस निविदा प्रपत्र में तथा संदर्भित निविदा विज्ञापन में उल्लेखित निर्धारित ठेके की समस्त शर्तों का पालन करते हुए कार्य करने हेतु सहमत हूँ। अतः मैं एतद् द्वारा अमानत राशि रूपये 50,000.00 (रु० पचास हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट क्रमांक दिनांक जो.....
.....बैंक का है तथा कुलसचिव/रजिस्ट्रार, पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ०ग०) को देय है, संलग्न कर रहा हूँ। साथ ही दर अनुसूची (प्रपत्र दो) भी अन्य दस्तावेजों सहित संलग्न कर रहा हूँ।

मुझे वर्तमान में संबंधित क्षेत्र एवं कार्य का निम्नानुसार अनुभव है :—

01. नाम व पता —
(टेलीफोन व मोबाईल नंबर सहित)
02. यदि कोई पार्टनर हो तो उसका —
नाम व पता. यदि पंजीकृत भागीदारी
फर्म है तो पंजीयन प्रमाण-पत्र की
प्रति संलग्न की जावे। यदि पंजीकृत
भागीदारी फर्म नहीं है तो भागिता
पत्र की नोटरी से सत्यापित सत्य
प्रतिलिपि संलग्न की जाये।

03. पूर्व कार्यों के अनुभव का विवरण -
 संबंधित संस्थान के नाम-पते एवं
 परफॉरमेंस रिपोर्ट सहित देवें
 (अलग शीट पर विवरण संलग्न करें)
04. वर्तमान में कितने कर्मचारी आपकी - (1) साफ-सफाई कार्य हेतु
 ठेकेदारी में कार्यरत है ।
05. वर्तमान में जहां कार्य चल रहा -
 हो, उस संस्थान का नाम व पता
 (समर्थन में पत्र/आदेश की प्रति
 संलग्न की जावे)
06. जीवित लेबर लायसेंस का विवरण -
 (लायसेंस की छायाप्रति संलग्न की
 जावे)
07. भविष्य निधि कोड नं० एवं वर्क्समेन -
 कम्पनसेशन पॉलिसी की छायाप्रति
 संलग्न की जावे.
08. सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र -
 की छायाप्रति संलग्न की जावे
09. साल्वेन्सी प्रमाण-पत्र (न्यूनतम पांच -
 लाख रू०) की छायाप्रति संलग्न करें.
10. पेन नंबर प्रमाण पत्र -

दिनांक :

हस्ताक्षर

स्थान :

पूरा नाम व पता (स्पष्ट अक्षरो में)

टीप :-

01. अभिलेखों की छायाप्रतियों को निविदाकार के द्वारा अपने पूर्ण हस्ताक्षर करते हुए स्वयं के द्वारा सत्यापित किया जाना अनिवार्य है । स्वयं सत्यापन के हस्ताक्षर के नीचे निविदाकार को अपना नाम व तिथि अंकित करना अनिवार्य होगा ।

-: सामग्री सहित दर-अनुसूची :-

-: दर-अनुसूची :-

प्रपत्र-दो

महोदय,

01. पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर परिसर में साफ-सफाई कार्य संबंधी निविदा सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई है। मेरे/हमारे द्वारा निम्नानुसार दरें प्रस्तुत की गयी है जो सभी प्रकार के शुल्क सहित है।
02. मेरे/हमारे द्वारा अमानत राशि रूपये 50,000.00 (रु० पचास हजार मात्र) बैंक ड्राफ्ट क्रमांक दिनांक बैंक शाखा के माध्यम से जमा किया गया है, जो इस निविदा-प्रपत्र के साथ संलग्न किया गया है।
03. विश्वविद्यालय परिसर व भवनों के साफ-सफाई कार्य हेतु सफाई सामग्री सहित मेरे/हमारे द्वारा निम्नानुसार दरें प्रस्तावित है :—

क्र०	सफाई कर्मियों का पदनाम	दर प्रति व्यक्ति प्रतिमाह (अंकों में)	दर प्रति व्यक्ति प्रतिमाह (शब्दों में)
01	सफाई एजेन्सी का सेवा शुल्क	रु०	रु०
02	सफाई सामग्री की दर प्रतिमाह	रु०	रु०
03	सफाई कर्मों का वेतन प्रतिमाह	रु०	रु०
04	सफाई कर्मों के ईपीएफ कटौती अंशदान	रु०	रु०
05	सफाई कर्मों के ईएसआई कटौती अंशदान	रु०	रु०

टीप :- सफाई कार्य अधिकतम 45 कर्मचारियों से कराया जाना है तथा सफाई सामग्री हेतु न्यूनतम रु. 20,000/- विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किया गया है।

मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत सेवा शुल्क निविदा के नियम व शर्तों के अनुसार भरना है। वेतन एवं अन्य शुल्क जो समय-समय पर छ.ग. शासन द्वारा बनाये गये लेबर कानून एवं नियम के अनुसार प्रदत्त होने पर सहमत है एवं मेरे द्वारा छ.ग. श्रम आयुक्त द्वारा निर्धारित वेतन से कम वेतन का भुगतान नहीं किया जावेगा।

निविदाकार के हस्ताक्षर

फर्म का नाम व पता

.....

.....

फर्म की सील/स्टाम्प

फोन व मोबाईल नंबर

-: निविदा की शर्तें/जानकारी :-

प्रपत्र-तीन

01. निविदा प्रदायकर्ता के लिए यह आवश्यक होगा कि वह पिछले 03 वित्तीय वर्ष का आयकर रिटर्न प्रमाण पत्र, सेवा कर संबंधी पंजीयन, श्रम विभाग के पंजीयन की प्रति निविदा के साथ संलग्न करें ।
02. प्रत्येक निविदा के साथ अमानत राशि के रूप में रुपये 50,000/- (अक्षरी रुपये पचास हजार मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट कुलसचिव, पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के नाम से देय हो, संलग्न करना होगा ।
03. निविदा तीन पृथक-पृथक लिफाफे में अर्थात् -
 1. प्रथम लिफाफे में फ्री क्वालीफिकेशन, निविदा की विशेष शर्तें हस्ताक्षर सहित
 2. द्वितीय लिफाफे में अमानत राशि तथा
 3. तृतीय लिफाफे में दर अनुसूची से संबंधित विषय अंकित करते हुए तीनों लिफाफे को एक बड़े लिफाफे में सील बंद कर स्पीड पोस्ट द्वारा भेजी गयी निविदा ही मान्य की जावेगी ।भेजे जाने वाले उपरी लिफाफे के उपर "सफाई व्यवस्था से संबंधित निविदा तथा कर्मांक एवं दिनांक" अंकित करना अनिवार्य होगा ।
04. निविदाकर्ता द्वारा निविदा निर्धारित तिथि एवं समय पर कुलसचिव, पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को संबोधित करते हुए पंजीकृत डाक या स्पीडपोस्ट से प्रस्तुत की जा सकती है ।
05. निर्धारित समय-सीमा के पश्चात् प्राप्त निविदाएं मान्य नहीं होगी ।
06. निविदा स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का सर्वाधिकार कुलपति, पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय को होगा ।
07. ठेकेदार को विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन व परिसर में स्थित भवनों के कक्ष, बरामदे, छत, आंगन, शौचालयचौं, रेलिंग, गलियारों, सीढ़ियों, व समस्त खुले परिसर की साफ-सफाई करनी होगी तथा दरवाजे, खिड़कियों की सफाई तथा पान-तम्बाखु के दागों की सफाई करनी होगी ।
08. पूरे विश्वविद्यालय की सफाई दो पालियों में करनी होगी । प्रथम पाली सुबह 7.30 बजे से 12.00 बजे तक व द्वितीय पाली दोपहर 01.00 बजे से संध्या 05.00 बजे तक करना अनिवार्य होगा और आवश्यकतानुसार सफाई कर्मी भी बढ़ाना होगा ।
09. विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन, कला भवन, ग्रंथालय भवन, विज्ञान भवन, प्रबंध संस्थान भवन, महिला छात्रावास भवन (महिला सफाई कर्मी), अकादमिक स्टाफ कालेज भवन, कम्प्यूटर अध्ययनशाला, फार्मसी भवन, गेस्ट हाउस, गांधी छात्रावास, आजाद छात्रावास, बायोसाइंस बायोटेक्नॉलाजी एवं मानव विज्ञान अ०शा०, सीबीएस भवन एवं पावर ग्रिड हास्टल में सफाई कर्मी द्वारा सभी भवनों में स्थित शौचालयों की सफाई में उत्तम गुणवत्ता की फिनाईल, लिक्विड सोप, फिनाईल गोलियां, ऑडोनिल फेशनर, टॉयलेट पेपर रोल के प्रयोग के साथ हार्पिक जैसे लिक्विड के प्रयोग से सफाई करना होगा । शौचालयों की सफाई दिन में दो बार करनी होगी । सफाई में लगने वाली समस्त सामग्री का स्टॉक भी निरंतर रखना होगा । सामग्री की गुणवत्ता का निरीक्षण अचानक कभी भी किया जा सकेगा । निम्न स्तर की सामग्री पाये जाने पर तत्काल भुगतान रोकने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास होगा ।
10. विश्वविद्यालय भवन /परिसर की सफाई के लिए कार्य क्षेत्रफल का अवलोकन हेतु विकास विभाग एवं यांत्रिकी विभाग से कार्यालयीन समय पर संपर्क किया जा सकता है ।
11. सभा कक्ष तथा जिन कक्षों में कारपेट लगा है वहां वैक्युम विलनर एवं शैम्पु से सफाई करना होगा ।
12. डस्टबीन तथा थूकदानों की सफाई कर कचरा हटाकर परिसर में नियत स्थान पर डालना होगा तथा थूकदान की रेत प्रतिदिन बदलनी होगी ।
13. महिला शौचालयों की सफाई हेतु महिला सफाई कर्मी आवश्यक रूप से रखना होगा ।
14. सभी सफाई कर्मी को ड्रेस देना होगा तथा शर्ट की जेब पर सफाई कर्मी का नाम अंकित हो, जो स्पष्ट दिखाई दे। बिना वर्दी के आने पर प्रत्येक बार रु. 200/- का अर्थदण्ड आपके देयक से काटा जावेगा ।
15. जहां-जहां साफ-सफाई के साथ पोछा एवं धुलाई की आवश्यकता होगी, वह भी करना होगा, साथ ही सप्ताह में एक दिन फर्श, सीढ़ियों, रेम्प (टाइल्स, मार्बल व कोटा स्टोन आदि) की सफाई करनी होगी ।
16. सभी फर्नीचरों, दरवाजे, खिड़कियों की कांच/ग्रिल की रोजाना सफाई की जावेगी ।
17. मशीनों का उपयोग मार्बल, कोटा स्टोन, टाइल्स तथा फर्श आदि के लिए किया जा सकेगा । इसके अतिरिक्त अन्य कोई मशीन जिससे कार्य गुणवत्ता बढ़ती हो तो निविदाकर्ता उसका पृथक उल्लेख निविदा प्रस्ताव में कर सकता है ।
18. सभी सफाई करने वाले को अनुशासन में रहकर कार्य करना होगा तथा कक्षों में रखे अभिलेखों एवं उपकरणों से छेड़छाड़ नहीं करना होगा यदि किसी अभिलेखों या उपकरणों को क्षति पहुंचाते पाये गये तो होने वाले हानि की वसूली ठेकेदार से की जावेगी ।

19. सफाई कर्मी नियमित रूप से प्रातः 7.30 से 12.00 बजे तक एवं दोपहर 01.00 बजे से संध्या 4.00 बजे तक आवश्यकतानुसार उपस्थित रहेंगे ।
20. सफाई कर्मी संदिग्ध अवस्था में पाए जाने पर, विश्वविद्यालय कर्मियों से दुर्यवहार करने एवं काम ठीक से न करने पर उसे विश्वविद्यालय की साफ-सफाई कार्य से हटा दिया जावेगा ।
21. विश्वविद्यालय की उचित साफ-सफाई न होने पर, शिकायत आने पर या निरीक्षण के दौरान लापरवाही एवं अनियमितता पाये जाने की स्थिति में रुपये 500.00 तक प्रतिदिन शास्ति (पेनाल्टी) अधिरोपित कर कटौती मासिक देयक से की जावेगी । काटी गई राशि के लिए ठेकेदार/फर्म स्वयं उत्तरदायी होगा, काटी गई राशि के लिए किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा । पांच शिकायत आने पर निविदा निरस्ती की कार्यवाही की जा सकेगी ।
22. सफाई की सामग्री की व्यवस्था निविदाकार फर्म द्वारा की जावेगी । स्वच्छता निरीक्षक की देख-रेख में उसका उपयोग किया जावेगा । इसकी जांच आवश्यकता पड़ने पर विकास विभाग के अधिकृत अधिकारी द्वारा की जावेगी ।
23. अनुबंधकर्ता नियत अवधि तक कार्य नहीं छोड़ सकेगा और यदि बीच में कार्य छोड़ा गया तो नवीन ठेका होने तक विश्वविद्यालय को हुई क्षति छोड़ने वाले अनुबंधकर्ता से वसूली जायेगी ।
24. प्रत्येक माह सफाई का कार्य संतोषजनक पाये जाने पर ही प्रस्तुत देयक का भुगतान किया जावेगा । देयक प्रति माह की 05 तारीख तक विकास विभाग में प्रस्तुत करना होगा । देयक संबंधित विभाग के विभागीय अधिकारी से एवं अंतिम रूप से समस्त देयकों को सेनेटरी इंस्पेक्टर, यांत्रिकी विभाग से प्रमाणित कराकर भुगतान हेतु प्रस्तुत करना होगा ।
25. साफ-सफाई में प्रयुक्त होने वाली सफाई सामग्री उत्तम गुणवत्ता की होगी तथा समस्त सामग्री का स्टॉक भी रखना होगा । उपयोग में आने वाली सामग्री की सूची देयक के साथ प्रस्तुत करना होगा ।
26. अमानत राशि के रूप में जमा राशि ठेके की शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में राजसात की जा सकेगी ।
27. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय विश्वविद्यालय के कुलपतिजी का होगा ।
28. रू० 50.00 के स्टाम्प पेपर में अनुबंध करना होगा । अवधि अनुबंध के दिनांक से एक वर्ष के लिए मान्य होगा ।
29. निविदाकार को दरें सफाई की सामग्री सहित प्रस्तुत करनी होगी ।
30. विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर आयोजित किये जाने वाले समारोह अवसर पर लगने वाले साफ-सफाई की व्यवस्था सफाई सामग्री सहित निविदाकार द्वारा की जावेगी ।
31. संबंधित ठेकेदार का कार्य संतोषजनक होने पर कार्यकाल एक-एक वर्ष करके अधिकतम 03 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है ।
32. जो सुरक्षा एजेंसी इस विश्वविद्यालय में कार्य कर चुकी है और वह निविदा में पूर्व जांच योग्यता में पात्रता (Qualify) करती है तो उनके कार्य की विभागीय स्तर पर समीक्षा उपरान्त ही उनके प्रस्ताव पर विचार किया जावेगा । तदोपरान्त ही उनकी दर सूची को खोला जावेगा ।
33. साफ-सफाई ठेका सामान्यतः एक वर्ष की अवधि हेतु दिया जावेगा । विश्वविद्यालय को यह अधिकार होगा कि कार्य संतोषजनक होने पर ठेके की अवधि आवश्यकतानुसार 03 माह या अधिकतम एक वर्ष के लिए इन्हीं स्वीकृत दर एवं शर्तों के आधार पर बढ़ायी जा सकेगी ।
34. सफाई कार्य करने वाले समस्त कर्मचारियों का शासन एवं श्रम कानून द्वारा निर्धारित समस्त नियमों का पालन ठेकेदार द्वारा किया जाना अनिवार्य है । इस संबंध में विश्वविद्यालय की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी । छ०ग० शासन अथवा उनके विभागों द्वारा जानकारी मांगे जाने पर समस्त अभिलेख आपके द्वारा उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा ।
35. वित्तीय प्रस्ताव में राशि अंकों व शब्दों में स्पष्ट रूप से अंकित करनी होगी जिसमें सभी प्रकार के कर शुल्क आदि सम्मिलित होना चाहिए । पृथक से किसी प्रकार का कर/शुल्क आदि का उल्लेख होने पर ऐसी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा ।
36. कर से संबंधित किसी भी प्रकार के वाद की स्थिति में निविदाकर्ता जिम्मेदार होगा ।
37. निविदाकर्ता द्वारा लिया जाने वाला एजेंसी सेवा शुल्क यह स्पष्ट करते हुए भरना अनिवार्य है कि उसके द्वारा लिया जाने वाला एजेंसी सेवा शुल्क किस प्रकार उचित है ।
38. कर्मचारियों का वेतन एवं अन्य शुल्क छ०ग० शासन/श्रमायुक्त के द्वारा निर्धारित होने पर नियमानुसार देय होगा ।

कुलसचिव